संख्या-58/771/78-1-2014-128आई0टी0/2014

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक, 05 सितम्बर,2014

विषय: वीडियो कान्फ्रसिंग स्टूडियो,मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में वीडियो कान्फ्रसिंग स्टूडियो,मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-7 के "लेखा शीर्ष-4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय(अयोजनागत), 02-इलेक्ट्रानिक, 800-अन्य निवेश, 05-वीडियो कान्फ्रसिंग स्टूडियो,26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457 /दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0प्रियदर्शी)
विशेष सचिव।

संख्या-58/771(1)/78-1-2014 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- जिलाधिकारी लखनऊ, उ0प्र0।
9- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
10- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
11- राज्य समन्वयन सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
12- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in